help the House to elect the next Speaker without any delay ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Government has taken note of it, Now, Shri Kachwai.

SHRI SAMAR GUHA : Will the Government give the assurance or the Deputy Speaker ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have got up on a point of information and you have raised the point. Professor Ranga has supported you. Now the Minister of Parliamentary Affairs has taken note of it.

SHRI SAMAR GUHA : Sir, is it your responsibility or his ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is the Leader of the House who has to take actian.

SHRI SAMAR GUHA : But it is your responsibility to draw the attention of the Government.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : Government are seized of it and will take a decision soon.

———

14 20 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE, AND INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL —*contd.*

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जेन) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में इस बात पर चर्चा हुई कि सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि ट्रेन में बिना टिकट चलने वाले व्यक्तियों से आठ आने के बजाय दस रुपये पीनल्टी ली जाये। क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में कुछ विचार किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, जो ये बिना टिकट वाल यात्री हैं उनसे जो पैंसा वसूल करते हैं टी० टी० लोग उनको. नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सरकार ने इसका विचार नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो बिना टिकट चलता है उससे किराया वसूल करने में या दूसरों की जेब से पैसा निकालने में टी० टी० को बहुत बड़ा संकट आता है। कई बार टीटियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। परन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार ने और रेलवे बोर्ड ने कभी भी गम्भीरतापूर्वक इस बारे में विचार नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट पकड़ा गया और उसके पास पैसा नहीं है और टी० टी० उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करता है तो पुलिस यह कहती है टी० टी० से कि पहले आप दो टाइम का खाना दीजिए मुलजिम के लिए तब हम इसको अपने यहां रखेंगे। मैं कहता हूं कि आज कौन सा टी० टी० ऐसा है जो दो टाइम की खुराक अपनी जेब से दे और पुलिस के पास जमा करे और बिना टिकट चलने वाले व्यक्तियों को पकड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार लड़ाई होती है उससे ऐसे मौकों पर कई बार लोग मारे जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने यह बात जरूर कही है कि हम उन लोगों की मदद करते हैं। वह मदद करते हैं पिटने के बाद, मरने के बाद। मेरा कहना है कि टी० टी० जब पैसा इकट्ठा करता है तो किसी प्रकार का प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए। यदि वह मर जाये तो 20 हजार रुपया उसके परिवार को मदद मिलनी चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए ठीक प्रकार के उपाय होने चाहिए। आज उनके सामने एक सबसे बड़ी कठिनाई है। एक ही रेलवे है, गवर्नमेंट की रेलवे है परन्तु सभी रेलवेज के अन्दर अलग-अलग कानून हैं, अलग-अलग नियम हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब डा० रामसुभग सिंह जी पालियामेंट के मैम्बर थे तो इन्होंने भी जोर दिया था इनको रनिंग स्टाफ में

[श्री हुकमचन्द कछवाय]

लिया जाय। जब एक सदस्य ने प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में बताया गया कि उनको रनिंग स्टाफ में लेना समर्थ नहीं। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन गाड़ी के अन्दर जो पार्सल बाबू होता है, माल चढ़ाता है, उतारता है, आपने खुद उसे रनिंग स्टाफ में लिया है और इनको नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण क्या है? इसका एक ही मूल कारण है कि जिस समय इस देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय खुदी राम बोस एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े देशभक्त यहां थे जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में लगे हुए थे। उस समय उस क्रांतिकारी खुदी राम बोस की टीटियों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सहायता दी। अंग्रेजों ने उसी चिढ़ के कारण कि यह टी० टी० कौम बदमाश कौम है, गद्दार कौम है ऐसा कहकर उन्होंने एक कानून बनाया कि इन्हें रनिंग स्टाफ में न लिया जाए और वह अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून आज भी चला आ रहा है।

14.24 hrs.

[SHRI R.D. BHANDARE *in the Chair*]

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज यह कहा जा रहा है कि देश में रेलवे के अन्दर टीटियों को हटाकर, उनकी प्रमोशन रोक कर उनके स्थान पर अटेंडेंट से काम लिया जा रहा है। उस अटेंडेंट को यह पावर नहीं है कि वह टिकट बना सके। पिछली बार जब जनरल मैनेजर उज्जेन आये थे तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने यह पद्धति क्यों लागू की है तो उन्होंने उत्तर दिया कि रेलवे घाटे में है और उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने यह किया है। आम टी० टी० को हटाकर अटेंडेंटों से काम लेना चाहते हैं? मेरा सुझाव यह है कि टी० टी० काफी अच्छे और पढ़े-लिखे और योग्य हैं। आप जो बड़े-बड़े अफसरों को तीन तीन, चार–चार और पांच-पांच हजार रुपये तनख्वाह देते हैं, उन पर पैसा खराब करते हैं, आप जी० एम० को हटाइये और उनके स्थान पर इन लोगों से काम लीजिए। इसी वेतन पर तो मैं दावे से गारंटी से कह सकता हूं कि वे कुशलता से काम करेंगे। मगर माननीय मंत्री महोदय मानेंगे नहीं।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि टी० टी० को कहा जाता है कि आप महीने में 4 हजार रुपया अधिक वसूल करके लाइये। इस प्रकार का दबाव टी० टी० पर डाला जाता है। यदि जब उस टी० टी० को बिना टिकट कोई नहीं मिलता है तो वह चार हजार रुपया कहां से वसूल करेगा। परन्तु उसे वसूल करना है। वह परेशान होता है। जो नहीं करता है, उसका प्रमोशन रुक जाता है। उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है कि तुमने महीने भर के अन्दर 4 हजार रु० इकट्ठा करके क्यों नहीं दिया। यह रेलवे कमाऊ पूत हैं और यह लोग रेलवे का गुमा हुआ पैसा निकाल कर देते हैं लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आज टी० टी० ई० लोगों के अन्दर बड़ी बेचैनी है और उन लोगों के केस पर मंत्री महोदय को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये।

आप ने टी० टी० ई० लोगों पर विजिलैंस लगा रक्खा है। जब वह लोग चैकिंग करते हैं। तब उनके ऊपर विजिलैंस के द्वारा चैक करवाते हैं। विजिलैंस के ऊपर आप इतना पैसा खर्च करते हैं और उनका एक-एक वाक्य उपवाक्य होता है, वह टल नहीं सकता है। आप को ऐसे कई केस मिलेंगे जिन में टी० टी० पर झूठे मामले चलाये गये। हालांकि आप उन पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन तब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, यह बहुत खराब बात है।

आज टी० टी० ई० लोगों को जो वर्दियों दी जाती हैं वह खाकी होती हैं। उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इससे टी० टी० ई०

जचता नहीं है। जो सफेद वर्दी दी जाती थी उससे लगता था कि वह टी० टी० ई० है। आप अपने पार्सल बाबू को भी खाकी वर्दी देते हैं, गाड़ी की सफाई करने वाले को भी आप खाकी वर्दी देते हैं। यह ठीक नहीं है। आपको वर्दी के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

अन्त में मेरा इतना ही कहना है, और मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, कि रेलवे के लोगों पर जो मुकदमे चलते हैं उनकी सरकार मुनासिब ढंग से मदद नहीं करती। अगर प्रारम्भ में ही मदद दी जाये तो अच्छा है जिसमें कई मामलों में उनकी सफलता हो सके।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for the Bill is 3 hours. The time is already over. But I would like to extend it by 10 to 15 minutes. I will call one Member from the Congress and two Members from the Opposition and then the Minister.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) ; After the Minister, I have a right of reply.

MR. CHAIRMAN : I am aware of that.

Shri Naval Kishore Sharma.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है उसके ऊपर चर्चा में बहुत सी बातें कही गई हैं। विधेयक बहुत साधारण है। उसके अनुसार किसी भी टिकेटलेस ट्रैवेलर पर कम से कम 10 रु० जुर्माना ही किये जाने का प्रस्ताव है। असल में जिस बारे में बहुत ज्यादा कहा गया है वह यह कि जुर्माना 10 रु० किया जाना चाहिये या 8 आना किया जाना चाहिये या और कम किया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करना चाहता हूं। मेरी दलील यह है कि यदि कोई सजा देनी है तो सजा इस तरह की होनी चाहिए कि उसका प्रभाव हो ताकि जिस आदमी को सजा दी जाय वह कम से कम आइन्दा ऐसी गलती न करे। 8 आना का जुर्माना कोई सजा नहीं है। स्वभावतया उसका परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति यात्रा करता है वह साधारणतया इस खतरे को मोल लेने में सक्षम रहता है। वह सोचता है कि अगर वह पकड़ा भी जायेगा तो इसको 8 आने देने पड़ेंगे। इसके माने दूसरे शब्दों में यह है कि आप टिकेटलैस ट्रैवेल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अगर आप को सजा देनी है तो ऐसी सजा दीजिए कि उसका परिणाम यह हो कि जिन लोगों का बराबर बिना टिकट के चलने का धन्धा है, वह दुबारा इसकी जुर्रत न कर सकें।

यहां इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि कई दफे यात्रियों को अनायास ही दिक्कत होती है क्योंकि जब वह बिल्कुल टाइम पर आते हैं तब उनको टिकट नहीं मिलता और वे गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर रहम खाई जाय। मेरा निवेदन यह है कि इस देश के नागरिकों को अच्छे नागरिक होना सीखना पड़ेगा। अच्छे नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह टाइम के बारे में सीखे कि डिसिपिलन क्या है और जो लोग इसको नहीं जानते हैं उनको सिखाने की कोशिश करे। मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग अनुशासन की बहुत दुहाई देते हैं कि जिन्दगी के हर पहलू में अनुशासन आना चाहिये। अनुशासन के माने यह है कि समय के मुताबिक काम करने की आदत डाली जाय। इसलिए यह वाजिब है कि लोगों में यह आदत आये। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम टाइम पर नहीं आवें और चलती हुई गाड़ी में न चढ़ें।

यह प्रश्न इतना अहम नहीं है जिस पर इतना वादविवाद हो। लेकिन प्रश्न दूसरा है।

[श्री नवल किशोर]
हमने इसको राजनीति के कीचड़ का अखाड़ा बना लिया है।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर ने बनाया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मिनिस्टर ने बनाया है। मैं निवेदन करता हूं कि बिल में प्रश्न यह नहीं है कि सीटलैंस ट्रैवेलर्स को क्या दिक्कतें हैं। मैं बस बात से सहमत हूं कि उनके लिए सुविधाएँ दी जानी चाहियें, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अधिक गाड़ियां चलाई जानी चाहियें और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि टिकट कलैक्टर जो हैं उनको सुविधायें दी जायें। वाकई उनकी जिन्दगी का खतरा रहता है। उनके साथ अनुसार मारपीट होती है। लेकिन इर सब बातों के इलाज के लिए मैं एक एक निवेदन करना चाहता हूं। आप इसको देखिये कि टिकेटलैंस ट्रैवेल किन-किन समयों पर ज्यादा होती है। मेलों के टाइम पर इस तरह की ट्रैवेल ज्यादा होती है, किसी कांफरेंस के टाइम पर ज्यादा होती है। किसी सम्मेलन के टाइम पर या किसी फंगशन के टाइम पर ज्यादा होती है ऐसे मौकों पर जो टिकट कलैक्टर होते हैं, टिकट चैकर होते हैं, वे घबराते हैं। वे भीड़ में जाकर टिकट चैक करने से घबराते हैं। मैं रेल मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे आथोरिटीज़ जानती हैं कि किस समय पर किस एरिया में मेले लगते हैं और जब मेले लगें तब उनको इसकी व्यवस्था करनी चाहिये कि पुलिस टिकट कलैक्टर के साथ हो ताकि भींड़ किसी तरह का उनके साथ झगड़ा न कर सके।

कुछ सैकशंज़ रेलवे के ऐसे हैं खास तौर पर वे लाइनें जहां कि शटल ट्रेंज चलती हैं, वे लाइनें जहां कि सीधी गाड़ियां नहीं चलती हैं, छोटे-छोटे स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियां हैं, वे गाड़ियां अक्सर पूरी की पूरी बगैर टिकट वालों के चलती हैं। यह बात अक्सर देखने आई है। उस अवस्था में टिकट कलैक्टर्ज की दशा, चैंकिंग स्टाफ की दशा वाकई में दयनीय होती है। वे बेचारे बुरी हालत में होते हैं, परेशान हालत में होते हैं और चैंकिग करने से कतराते हैं और इधर-उधर भागते रहते हैं। ऐसी लाइनों पर जहां लोगों की बिना टिकट चलने की आदत बन गई है, यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि लोग बिना टिकट सफर न कर सकें। वहां चैकिंग होना चाहिए रेग्युलर तरीके से और तब तक होना चाहिये जब तक कि उन की आदत ठीक न हो जाए।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं। यह विधेयक बहुत जरूरी था। इसके बिना हमारे देश में यह जो एक बुराई है इसको दूर करने में हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इस विधेयक को लाने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। कई मुझ से सीनियर, मुझ से कहीं ज्यादा मुहिव्वेवतन, कहीं ज्यादा तजुर्बेकार माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं। वे हमेशा सरकार पर इलज़ाम लगाते रहे हैं कि इस सरकार के आने के बाद कुरपशन बढ़ी है, मारेल गिरा है। लेकिन जब डा० राम सुभग सिंह जी ने जुर्रत करके यह कदम उठाया है और जिसकी वजह से हो सकता है कि वह देश में जनता में शायद बदनाम भी हों, तो भी उनकी मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने किया क्या है? उन्होंने आठ आने से दस रुपये किये हैं। अब यह कहा जा रहा है कि जो गरीब किसान पांच रुपये चावल खरीदने के लिए लेकर आता है वह पांच रुपये जुर्माने में दे जायेगा। यह सब बात जो मुझ से कहीं ज्यादा सीनियर मैम्बर हैं उनकी तरफ से कही जा रही है श्रौर उनकी तरफ से कही जा रही है जो दिल से चाहते हैं कि मुल्क का मारेल उठे। मैं कहूंगा कि उनको चाहिये था कि मुल्क का मारेल ऊंचा करने में डा० राम सुभग सिंह

जी का हौसला बढ़ाते । मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हौसला सब मिनिस्टर करें । मैं बिल्कुल इत्तिफाक करता हूं उस बात से जो आखिरी भाई ने कही है कि ख्वामख्वाह हर बात में पोलिटिक्स देखा जाता है, उसको पोलिटिकल अखाड़ा बनाया जाता है ।

सभापति महोदय, दो आर्डिनेंस जारी हुए हैं । एक डा० साहब ने किया है और एक मेरी बहन इन्दिरा गान्धी जी ने निकाला है । यह बात समझ में आ सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है, वह उस हालत में किया है जब कि मुल्क में कोई एमरजेंसी नहीं थी और इस वास्ते वह किया है क्योंकि वह सिंडीकेट को और श्री मोरारजी देसाई को खत्म करना चाहती थीं । आर्डिनेंस की जरूरत नहीं थी । इस काम में हम सब उसके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है...

सभापति महोदय : जो बिल है उस पर ही आप बोलें ।

श्री अब्दुल गनी डार : डा० साहब के बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने गरीबों का ध्यान नहीं किया है, उनके दिल से गरीब निकल गये हैं और साथ ही उन्होंने आर्डिनेंस क्यों निकाला । मैं समझता हूं कि देखने वाली बात यह है कि आर्डिनेंस से देश का हित होता है या नहीं । मैं समझता हूं कि होता है और इस वास्ते हम सब को इस मामले में डा० साहब की पूरी-पूरी हिमायत करनी चाहिये ताकि यह जो बिना टिकट यात्रा की बीमारी है यह दूर हो ।

मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । इनके जो अफसर ऐयर कण्डीशन में सफर करते हैं, उन पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए । बहुत जरूरी हो तभी उनको ऐसा करने की इजाजत होनी चाहिए । हम लोग फर्स्ट क्लास में जाते हैं । वे भी फर्स्ट क्लास में जायें ।

जहां ज्यादा भीड़ होती है, वहां गाड़ियों की तादाद तो बढ़ाया जाना चाहिए । हमें आजाद हुए 22 साल हो गए हैं । अब तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को सहूलियत इसकी मिले ।

टिकटलैस ट्रेवल तो बन्द होना चाहिए । लेकिन उसके साथ-साथ टिकट कलैक्टर जो टिकटें इकट्ठी करते हैं और उनको दूसरी जगह भेज देते है और इस तरह से जाली टिकटें पकड़ी जाती हैं, इसको रोकने का भी उनको प्रबन्ध करना चाहिए । इस तरह की बेईमानी न हो सके, यह उनको देखना चाहिए ।

टिकट कलैक्टर कुछ एक गाड़ियों को ही चैक कर सकते हैं । हिन्दुस्तान की हिस्ट्री बहुत शानदार है, इसकी जो रीति है वह बहुत शानदार है, इसकी असमत बड़ी है लोग खुद समझ जायेंगे कि डा० साहब का मतलब क्या है । लोग समझ जायेंगे कि वे चैकिंग करना चाहते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहते । इसलिए मेरा सुझाव है कि अभी कुछ देर के लिए आप पुलिस का इंतजाम करादें जोकि घूम सके और जहां जरूरत हो वहां जा सके । पुलिस के पास कुछ ऐसा सामान भी होना चाहिए ताकि कोई दूसरा आदमी ख्वाम ख्वाह हमला न कर सके ।

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگاوہ) اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ کئی مجھ سے سینئر، مجھ سے کہیں زیادہ محبّ وطن، کہیں زیادہ تجربہ کار مانیہ سدسیہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ سرکار پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ اس سرکار کے آنے کے بعد کرپشن بڑھی ہے، مارل گرا ہے۔ لیکن اب ڈاکٹر رام سبھگ سنگھ جی نے جرأت کر کے یہ قدم اٹھایا ہے اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ دیش میں جنتا میں شاید بدنام بھی ہوں

تو بھی ان کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ انھوں نے کیا کیا ہے۔ انھوں نے آٹھ آنے سے دس روپے کئے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جو غریب کسان پانچ روپے چاول خریدنے کے لئے لے کر آتا ہے وہ پانچ روپے جرمانے میں دے جائیگا۔ یہ سب بات جو مجھ سے کہیں زیادہ سینئر ممبر ہیں ان کی طرف سے کہی جا رہی ہے اور ان کی طرف سے کہی جا رہی ہے جو دل سے چاہتے ہیں کہ ملک کا مارل اٹھے۔ میں کہوں گا کہ ان کو چاہیئے تھا کہ ملک کا مارل اونچا کرنے میں ڈاکٹر رام سبھگ سنگھ جی کا حوصلہ بڑھاتے میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا حوصلہ سب منسٹر کریں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے جو آخری بھائی نے کہی ہے کہ خواہ مخواہ ہر بات میں پولیٹکس دیکھا جاتا ہے اس کو پولیٹکل اکھاڑا بنایا جاتا ہے۔

سبھاپتی مہودیہ، دو آرڈیننس جاری ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے اور ایک میری بہن اندرا گاندھی جی نے نکالا ہے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو کیا ہے وہ اُس حالت میں کیا ہے جبکہ ملک میں کوئی ایمرجنسی نہیں تھی اور اس واسطے وہ کیا ہے کیونکہ وہ سنڈیکیٹ کو اور شری مرارجی ڈیسائی کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ آرڈیننس کی ضرورت نہیں تھی اس کام میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں، پارٹی ان کے ساتھ ہے۔

सभापति महोदय, जो बिल है उस पर ही आप बोले ।

شری عبدالغنی ڈار۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انھوں نے غریبوں کا دھیان نہیں کیا ہے، اُن کے دل سے غریب نکل گئے ہیں ساتھ ہی انھوں نے غریبوں کا دھیان نہیں کیا ہے یہ اُن کے دل سے غریب نکل گئے ہیں۔ ساتھ ہی انھوں نے آرڈیننس کیوں نکالا۔ میں سمجھتا ہوں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آرڈیننس سے دیش کا ہت ہوتا ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے۔ اور اس واسطے ہم سب کو اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب کی پوری پوری حمایت کرنی چاہیئے تاکہ جو بنا ٹکٹ یاترا کی بیماری ہے دور ہو۔ میں دو تین سجھاؤ دینا چاہتا ہوں۔ ان کے جو افسر ایرکنڈیشن میں سفر کرتے ہیں اُن پر پابندی لگائی جانی چاہیئے بہت ضروری ہو تبھی اُن کو ایسا کرنے کی اجازت ہونی چاہیئے۔ ہم لوگ فرسٹ کلاس میں جاتے ہیں۔ وہ بھی فرسٹ کلاس میں جائیں۔

جہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں گاڑیوں کی تعداد کو بڑھایا جانا چاہیئے۔ ہمیں آزاد ہوئے بائیس سال ہو گئے ہیں اب تو ہمیں کوشش کرنی چاہیئے کہ لوگوں کو سہولیت اس کی ملے۔ ٹکٹ لس ٹریول تو بند ہونا چاہیئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹ چیکر جو ٹکٹیں اکٹھی کرتے

ہیں اور ان کو دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں اور اس طرح سے جالی ٹکیٹس پکڑی جاتی ہیں۔ اس کو روکنے کا بھی ان کو پربندھ کرنا چاہیئے اس طرح کی بے ایمانی نہ ہو سکے۔ یہ ان کو دیکھنا چاہیئے۔

ٹکٹ کلکٹر کچھ ایک گاڑیوں کو ہی چیک کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی ہسٹری بہت شاندار ہے اس کی جو ریتی ہے وہ بہت شاندار رہی ہے اس کی عصمت بڑی ہے۔ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا مطلب کیا ہے۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہ چیکنگ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیئے۔ اس لئے میرا سجھاؤ ہے کہ ابھی کچھ دیر کے لئے آپ پولیس کا انتظام کرا دیں جو کہ گھوم سکے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں جا سکے۔ پولیس کے پاس کچھ ایسا سامان بھی ہونا چاہیئے تاکہ کوئی دوسرا آدمی خواہ مخواہ حملہ نہ کر سکے۔]

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : सभापति महोदय, इस बिल का उद्देश्य यह बताया गया कि बिना टिकट यात्रा को रोका जाए और रेलों की आमदनी बढ़ाई जाए। जुर्माने की राशि दस रुपये तक बढ़ाये जाने का जिन सदस्यों ने विरोध किया है मैं उनके साथ सहमत हूं। बिना टिकट यात्रा को रोकने और आमदनी बढ़ाने का जो आपका उद्देश्य है उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जबकि आप अधिक से अधिक गाड़ियां देने का प्रबन्ध करें। इसके साथ साथ जो टिकट काउंटर हैं बड़े शहरों में, टाउंज़ में वे भी अधिक खुलने चाहियें, बुकिंग आफिस अधिक खुलने चाहियें। स्टेशनों पर भी बुकिंग आफिस ज्यादा खुलने चाहियें और लोगों को सुविधा होनी चाहिये कि वे पांच दस मिनट पहले भी आयें तो उनको आसानी से टिकट मिल सके।

देहाती यात्रियों के सामने बहुत दिक्कतें आती हैं। उनको दो चार स्टेशन के बाद वाले स्टेशन पर ही जाना होता है। उनके वास्ते गाड़ियां अधिक नहीं होती हैं। दिन भर में एक दो गाड़ियां ही उनके लिए होती हैं। वे इन गाड़ियों को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ देते हैं तो उनका काम बिगड़ जाता है। किसी को कचहरी जाना होता है और किसी को बाजार जाना होता है। वे मुसीबत में होते हैं, उनको किसी न किसी तरह से गाड़ी पकड़नी ही होती है। इस वास्ते उनको गाड़ियों की सुविधा प्रदान करने के लिए आपको कुछ करना चाहिये। खास कर ब्रांच लाइनों में गाड़ियां बढ़ाई जानी चाहिये और बुकिंग आफिस अधिक खोले जाने चाहिये।

टिकट कलैक्टर्ज़ के साथ भी बहुत ज्यादती होती है। उनकी सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। यह भी ठीक है कि अधिकतर गाड़ियां बिना टिकट कलैक्टर्ज़ के ही चलती हैं। अगर कोई टिकट का पैसा देना भी चाहता है तो वह दे नहीं पाता है। मैं चाहता हूं कि स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए।

टिकट एग्जैमिनर्ज़ को इसैंटिव देने की बात भी आपको सोचनी चाहिये। आज उनको कोई इसैंटिव नहीं है। ड्राइवर को आप हर सौ किलोमिटर्ज़ पर 5 रुपये 40 पैसे देते हैं, फायरमैन को 3 रुपये 20 पैसे देते हैं, गार्ड को 3 रुपये 80 पैसे देते है, ब्रेक्समैन को 2 येपरु

30 पैसे देते हैं। उसी तरह से एक छोर से दूसरे छोर तक चलने वाले, शीत् ताप, बरसात में ट्रेन में चलने वाला यह जो स्टाफ है, जो टिकट एग्जैमिनर्ज़ हैं उनको भी इस तरह का इसैंटिव मिलना चाहिये। वे अपनी जान को जोखिम में डाल कर अपने कर्त्तव्य को निभाते हैं। उनके साथ इस तरह का बरताव नहीं होना चाहिये। वर्तमान रेल मंत्री ने इसके बारे में उनको आश्वासन भी एक प्रकार से दे रखा है जिसकी उनको पूर्ति करनी चाहिये। कछवाय जी ने बताया है कि जब हमारे जगजीवन राम जी रेल मंत्री थे तब वर्तमान रेल मंत्री ने चैंकिग स्टाफ की तरफ से डैपुटेशन ले कर उनके साथ मुलाकात की थी और बहस की थी कि इनको रनिंग स्टाफ में शामिल किया जाए। अब वह स्वयं रेल मंत्री हैं। उनको अपनी इस बात को पूरा करना चाहिये। यह उनका नैतिक कर्त्तव्य है। जो सहुलियतें फायरमैन, ड्राइवर, गार्ड, ब्रेक्समैन को दी जाती हैं, उनसे इनको वंचित रखना, इनके साथ अन्याय करना है।

जहां तक चैकिंग का सवाल है, इस में कुछ त्रुटियां हैं, जिन को दूर किया जाना चाहिये। मान लो मुगलसराय से कलकत्ता गाड़ी आनी है, तो रास्ते में तीन चार दफा चैकिंग स्टाफ बदल जाता है। दानापुर, भाभा, बरद्वान आदि में जा कर वह बदल जाता है। पहले स्टाफ ने दो तीन डिब्बे चैक कर लिये होते हैं और जो नया स्टाफ आता है उसको यह पता नहीं होता कि उसने कौन से डिब्बे चैक किये हैं और कौन से बाकी हैं। पूरे डिब्बे भी चैक नहीं हो पाते हैं अगर वह किसी डिब्बे में चैकिंग के लिए जाता है और उसको दो चार आदमी बिना टिकट यात्रा करते हुए मिल जाते हैं और वे उसकी इंसल्ट करते हैं तो उसकी सेफ्टी का कोई प्रबन्ध नहीं है। जिस गाड़ी में कारीडोर नहीं होते हैं उसमें तो एक छोर से दूसरे छोर तक आया जाया जा सकता है। लेकिन दूसरी गाड़ियों में नहीं। राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों में तो आ जा सकते हैं और वहां उनको मदद मिल सकती है, लेकिन बिना इस तरह के कारीडोर की गाड़ियों में उनको नहीं मिल सकती है। इससे चैकिंग में भी सहूलियत हो सकती है। इसके साथ ही साथ चैकिंग स्टाफ़ को भी बढ़ाना पड़ेगा। बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए इस बात की भी आवश्यकता है कि अधिक गाड़ियां चलाई जायें, ज्यादा बुकिंग आफिस खोले जायें और स्टाफ़ को इनसेन्टिव देने के लिए उन को रनिंग स्टाफ़ में शामिल किया जाये और उन्हें रनिंग स्टाफ़ की सब सहूलियतें दी जायें। उन लोगों की तरफ़ से 1957 से यह मांग की जा रही है। वे लोग इस बारे में अपना मेमोरेंडम देते हैं और उन्हें एशोरेंस दिया जाता है कि रेलवे बोर्ड उनकी मांगों को एग्ज़ामिन कर रहा है। इसके बावजूद उनकी डिमांड्ज़ को पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि उन की इस लांग-स्टैंडिंग डिमांड को पूरा किया जाये। अगर उसको पूरा नहीं किया जाता है, तो यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा।

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : The Indian Railways (Second Amendment) Bill...

श्री हुकम चन्द कछवाय: काफ़ी माननीय सदस्य हिन्दी में बोले हैं। इस लिए मंत्री महोदय भी हिन्दी में बोलें।

SHRI RAJARAM (Salem) : Does my hon. friend want the speech in Hindi ? Accidents are taking place due to the languages.

डा० राम सुभग सिंह : यह विधेयक इस

[डा० राम सुभग सिंह]

लिए प्रस्तुत किया गया है कि जो लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, उनकी रोक-थाम की जाये। आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1968 से फ़रवरी, 1969 तक चैकिंग में 1,10 लाख मुसाफ़िर पाये गये। कल माननीय सदस्य, श्री जाधव, ने बताया कि बिहार में किसी एक ट्रेन के एक डिब्बे में साठ प्रतिशत ऐसे मुसाफ़िर थे, जिन के पास टिकट नहीं था। श्री तिवारी कहते हैं कि श्री जाधव की बात ग़लत है। अगर वह बात गलत हो, तो मुझे बड़ा संतोष होगा।

अन्य रेलों का भी यही हाल है। सैंट्रल रेलवे में केवल जनवरी, 1969 में 1,67 हजार लोग बिना टिकट पकड़े गये। इसी तरह से वेस्ट्रन रेलवे में 1,14 हजार लोग बिना टिकट के पकड़े गये। मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि इस सदन को यह मालूम हो कि केवल बिहार में ही नहीं, अन्य जगहों में भी यही बिमारी है। अभी श्री शर्मा और श्री अब्दुल ग़नी डार ने जो बातें कहीं, मैं उन को अक्षरशः मानता हूं। यह समस्या तब तक हल नहीं होगी, जब तक कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का प्रबन्ध न किया जाये। इस समय पैसेंजर गाड़ियों की तादाद 5300 है, जिन पर प्रति-दिन 61,00,000 यात्री चलते हैं। बिना टिकट यात्रा की ज्यादा रोक-थाम करने के उद्देश्य से 29 नई गाड़ियां चलाई गई और 24 गाड़ियों में और डिब्बे लगाये गये। इसी तरह 5614 गाड़ी किलोमीटर प्रति-दिन बढ़ा दी गई। 1968-69 में 57 सबर्बन ट्रेन्ज़ चालू की गई। इस साल 1 अप्रैल से अब तक 67 नई गाड़ियां चलाई गई हैं, ताकि भीड़ के कारण जो दिक्कतें होती हैं, उनका समाधान किया जाये।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : A drop in the ocean.

DR. RAM SUBHAG SINGH : There is ocean and there is drop also. Both will have co-exist. He should at least understand this simple philosophy.

माननीय सदस्या, श्रीमती इला पालचौधरी, ने कहा है कि मेलों और सभा सोसायटियों के सम्मेलनों के अवसर पर स्पेशल ट्रेन्ज़ चलाई जानी चाहिए। पिछले साल ऐसे अवसरों पर 1722 गाड़ियां चलाई गई थीं और गाड़ियों में ज्यादा डिब्बे लगाये गये थे। इस साल भी अप्रैल से अब तक 500 स्पेशल ट्रेन्ज़ विभिन्न अवसरों पर चलाई गई।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : खास तौर पर कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर।

डा० राम सुभग सिंह : कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन के अवसर पर भी।

श्री रामावतार शास्त्री : कभी नहीं।

डा० राम सुभग सिंह : तब माननीय सदस्य को कुछ पता ही नहीं है।

श्री शर्मा और श्री डार ने सुझाव दिया है कि चैकिंग की ज्यादा अच्छी तरह से व्यवस्था होनी चाहिये। मैं उनके सुझाव को मानता हूं और इस बारे में कार्यवाही की भी गई है।

माननीय सदस्य, श्री बिस्वास, ने कहा कि जब से यह आर्डिनेंस लागू हुआ है, उस के बाद टी०टी०ईज़० पर एटैक होने शुरु हो गये हैं। उन की यह धारणा ग़लत है। उस से पहले भी अनेक अवसरों पर रेलवे कर्मचारियों पर घातक प्रहार किये गये हैं और उन लोगों की जानें भी गई हैं। अभी हाल में ही हापुड़ में टी० टी० ई०, ए० एस० एम० और गार्ड पर जो आक्रमण किया गया था और वहां पर रेलवे

मंत्रालय की ओर से जो जागरूकता दिखाई गई थी, उस से किसी को भी सहज ही यह अनुमान लगाने का मौका मिल सकता है कि रेलवे मंत्रालय किस ढंग से कार्य कर रहा है। मैं मानता हूं कि आसाम, बिहार, बंगाल आदि बहुत सी जगहों में अव्यवस्था है और गाड़ियां लेट चलती हैं।

SHRI B. M. BISWAS (Bankaura) : I believe the Minister could not follow what I said. I said that ticket checking staff are being hammered. He said that after the promulgation of this Ordinance there has been no such case. I gave an instance...

DR. RAM SUBHAG SINGH : You do not have the capacity to understand. You cannot speak in this fashion. I do not have to go through his speech.

SHRI J. M. BISWAS : No, I said...

DR. RAM SUBHAG SINGH : Sit down. I am not yielding. I am in possession of the House now.

SHRI JYOTIRMOY BASU : You must sit down.

MR. CHAIRMAM : Shri Biswas will please sit down.

SHRI JYOTIRMOY BASU : He must sit down.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Yesterday he said that after the promulgation of the Ordinance, attacks had started.

DR. JYOTIRMOY BASU : You must give an assurance that he will withdraw his remark. He is talking through his hat.

SHRI RAM SUBHAG SINGH : I will hammer anybody...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : All of you must sit down.

SHRI J. M. BISWAS : Who is this man of this Syndicate to order me to sit down ? I am prepared to obey your order. But he cannot tell me to sit down.

MR. CHAIRMAN : Unless the Minister yields, he cannot get up and speak. When he yields, the hon. member has every right to get up and ask a question.

SHRI JYOTIRMOY BASU : How can he say that he should sit down?...(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Instead of saying 'I am not yielding' he used that word. Do not take any offence at it... (*Interruptions*).

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : I suggest that he should be named and turned out. He is obstructing the proceedings of the House.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Mr. Chairman, I am not personally involved in this case. But as a Member of this House, we must know what the rules are. Can a Minister ask an hon. Member to shut up and sit down ? Was he right or not saying so?

MR. CHAIRMAN : I said that he was not right. The proper form would have been : I am not conceding...(*Interruptions*).

DR. RAM SUBHAG SINGH : We ran five hundred special trains to clear the traffic during the preceding three months. Mr. Imam referred to the sleeper coaches. For the convenience of the travelling public more than 1300 third class sleeper coaches are being run at present. It is proposed to introduce about 700 more such coaches during the Fourth Plan. With these coaches, accommodation will be available in all the trains involving full night journey. During the current year we propose to add 158 broad-gauge and 50 metre gauge sleeper coaches on our long distance trains. During the year 1970-71 we propose to provide 100 broad-gauge and 100 metre-sleeper coaches on the trains.

Shri Randhir Singhji pointed out the difficulties of reservation. I am sorry that

his son was inconvenienced. We shall issue special instructions—I am familiar with all the places where difficulties are experienced—that proper precautions should be exercised in all the centres wherefrom reservations are made.

Mr. Kamalnath Tiwari mentioned about some difficulties.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : आप हिन्दी में बोलते बोलते फिर अंग्रेजी में बोलने लगे।

डा० राम सुभग सिंह : श्री द्वारकानाथ तिवारी और कमलनाथ तिवारी जी ने बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। यह बात ठीक है वहां पर दिक्कत हो रही है और इसी से गाड़ियों की तादाद जो मैंने पहले बतायी उससे कुछ और ज्यादा गाड़ियां हम लोग अब बढ़ाने जा रहे हैं। एक गाड़ी जो अमृतसर से बम्बई जाती है उसको देहली और इटारसी के बीच फर्स्ट अक्तूबर से डीजल इंजिन द्वारा परिचालित किया जायेगा और देहली से भोपाल तक तीन डिब्बे उसमें और लगेंगे। इसी तरह से डीजल से और गाड़ियां भी चालू कर रहे हैं। अभी डीजेल से आसाम मेल, चालू की गई लखनऊ मेल चालू की गई। उन पर भी दो दो डिब्बे बढ़ाए गए।

नार्थ ईस्टर्न रेलवे में लखनऊ से कटिहार तक—लखन लाल जी कपूर को संतोष होगा—एक नई गाड़ी फास्ट एक्सप्रेस पहली अक्तूबर से देने का इरादा है ...(**व्यवधान**)...अब टाइम तय किया जायेगा मगर पहली अक्तूबर से चालू किया जायेगा...(**व्यवधान**) ...नई दिल्ली से जो वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी वाया मिर्जापुर चलती है उसको इलाहाबाद से बनारस होकर मोगलसराय तक ले जाने का विचार है पहली तारीख से ...(**व्यवधान**) ...

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : दरभंगा या समस्तीपुर से जयनगर की नई गाड़ी अक्तूबर से चलेगी या नहीं ?

डा० राम सुभग सिंह : उसका बाद में सोचेंगे।

कमल नाथ तिवारी जी ने और दूसरे मित्रों ने भी बताया कि किसानों को चलने में या मजदूरों को चलने में दिक्कत होगी। इसके लिए यह व्यवस्था की जाएगी कि गार्ड का सर्टिफिकेट चालू रहे। कहीं अगर जेनुइन मुसाफिर को दिक्कत हुई टिकट खरीदने में तो उसको सर्टिफिकेट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी ··· (**व्यवधान**)...

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar) : How many certificates can be issued in the course of two minutes of stoppage ?

डा० राम सुभग सिंह : जहां बाजार है वहां बाजार से जाने वाले जो लोग खरीद फरोख्त के लिए जाते हैं उनको टिकट खरीदने में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि बाजार जाने वाले लोगों को रिटर्न टिकट खरीदने की सुविधा मिले। जो जहां चाहेगा खरीद लेगा।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : एक रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि छात्रों को सीजन टिकट दिया जाय। जितने स्कूल हैं छोटे बड़े उनमें जो छात्र जहां से आते जाते हैं उनको सीजन टिकट दिया जाय।

डा० राम सुभग सिंह : ठीक है। ऐसी व्यवस्था थोड़ी है भी कि जहां-जहां स्कूल और कोलेजेज़ हैं वहां पर सीज़नल टिकट इश्यू किये जाते हैं और साधारण सीजन टिकट का भाग है 12-21 सिंगिल जर्नी फेयर्स इन नान-सबर्बन फेयर्स और 10-12 सिंगिल जर्नी फेयर्स इन सबर्बन फेयर्स—इस प्रकार छात्रों के लिए जो वाजिब सुविधाएं हैं वह सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाएंगी।

श्री रणधीर सिंह : सर, मेरा एक प्वाइंट है।...(व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा भी एक प्वाइंट है...(व्यवधान)...

15.00 hrs.

डा० राम सुभग सिंह : स्कूल और कालिजों में जब परीक्षायें होती हैं, उस समय के लिए कुछ स्पेशल सुविधाओं का इन्तजाम किया जायेगा ताकि उनको कोई दिक्कत न हो।

श्री रामावतार शर्मा (ग्वालियर) : बम्बई सेन्ट्रल रेलवे पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। बम्बई की सेन्ट्रल रेलवे के बारे में कुछ बताइये।

डा० रामसुभग सिंह : सबर्बन रेलवे का वहीं इंतजाम है, उसको वहाँ बढ़ायेंगे।

श्री मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर) : दिल्ली—बम्बई वेस्टर्न रेलवे पर एक नई गाड़ी अक्तूबर से चला रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : हर रेल के बारे में ध्यान रहेगा, निश्चित रहें।

श्री कमलनाथ तिवारी ने बुकिंग विण्डो के लिए कहा। प्रत्येक बुकिंग बिन्डो को एक घण्टा पहले खोलने का आदेश है। अगर कहीं नहीं खुलती होगी तो उस पर रोक-थाम लगाई जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी देखूंगा कि जहां जरूरत होगी, वहां ज्यादा बुकिंग विन्डोज रहें और यदि एक घन्टा का समय पर्याप्त न रहे तो उसे बढ़ाने की बात भी की जायगी।

श्री सूरजभान जी ने कहा कि डी० टी० यू० बस में ज्यादा सुरक्षा है जबकि रेल में सुरक्षा कम है। यदि आप आँकड़े देखें तो आपकी यह धारणा गलत सिद्ध हो जायगी। मै इस समय इसकी डिटेल में नही जाना चाहता, 4 बजे वाली डिबेट में जाऊंगा।

जहां तक रेल कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रश्न है—प्रत्येक रेल कर्मचारी के साथ पुलिस या आर० पी० एफ० परसोनल चलें—यह सम्भव नहीं है। लेकिन अगर कोई मेला हो या कोई स्पेशल सम्मेलन वगैरह हो तो उसमें व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी जी ने पहलेजा घाट और महेन्द्रू के बारे में कहा था। इसमें रेलवे को कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज राज्य सरकार की तरफ से है क्योंकि वहां उनका ठेका है और वह उस बात के लिये कान्ट्रेक्ट कर चुके हैं कि पहलेजा घाट से महेन्द्रू के लिये रेलवे के स्टीमर पर कोई टिकट ईशू नहीं होगा, सिर्फ थ्रू पैसेन्जर को ही उस पर चलने की इजाजत होगी। इसलिए अगर आप राज्य सरकार से बात करके कोई हल निकालेंगे तो उसमें हमारी मदद होगी।

श्री बी० पी० मंडल जी ने सुरक्षा और पानी की दिक्कत के बारे में चर्चा की—वेटिंग रूम्ज में, इसकी रोकथाम की जाएगी।

श्री तुलशीदास जाधव जी ने पण्ढरपुर के बारे में कहा। पहले की डिबेट में मैं बता चुका हूं कि कुछ इन्तजाम वहां किया जायेगा। लेकिन वहां का मेला सीजनल मेला है, साल में चार बार लगता है, इसलिए चार बार के मेले के लिए जितनी भी बाजिब सुविधा होगी, वह कराई जायगी, लेकिन चूंकि वह मेला साल भर नहीं रहता है, इसलिए कुछ कठिनाई हम लोगों के सामने है।

काटवा के बारे में मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा था कि वहां तीन वैगन आम में से एक वैगन आम की बरबादी हुई। मैं इसका पता लगाऊंगा और जो दोषी होंगे उनके बारे में उचित कार्यवाई की जाएगी।

श्री सोनवाने जी यहां इस समय नहीं हैं, लेकिन उनकी बात के बारे में मैं पहले बता चुका हूं और उसकी मान लूंगा।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने सीटलेस ट्रेवल की बात कही—यह मुनासिब बात है । लेकिन यदि इसको एक दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो यह नामुनासिब भी है । जो टिकट लेता है, उसे सीट मिलने का अधिकार जरूर है, मगर ।...

श्री रामावतार शास्त्री : मगर ऐसा नहीं होता है।

डा० रामसुभग सिंह : नहीं होता है, इसी लिए तो कह रहा हूं । आप कितनी चीजें चाहते हैं, हर बार दखल मत दीजिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप कुछ नहीं देते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मद्रास से बृन्दावन-बैंगलोर के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो थर्ड क्लास के स्लीपर में टिकट लेता है, उसे एक सीट मिलती है । परन्तु यदि आप तृतीय श्रेणी के यात्रियों की दिक्कतों में सही मायनों में जांये तो यह कोई भी नहीं जानता कि किस दिन हमें चलना चाहिए, जिस दिन की टिकट हमें मिल ही जाए । इस समय हसारे यहां जो हालत है उसके अनुसार यदि कोई 6 मील, 10 मील या 20 मील से रेलवे स्टेशन पर आये और यदि उसको जगह न होने के कारण इन्कार कर दें तो उसको एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है । फिर भी व्यवहारिक रूप से इस समस्या को हल करने की ओर हम आगे बढ़ेंगे ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : एक ही दर्जा कर दीजिए ।

डा० राम सुभग सिंह : मुझको एक दर्जे में पूरा विश्वास है, लेकिन एक दर्जा यहां पालिया-मेंट में भी करते, मैदान में पालियामेंट हो, तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन यह हमारे हाथ की बात नहीं है । आप प्रस्ताव लाइये, हमारा वोट आपके हाथ रहेगा ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैंने तो एक बिल पेश किया है, शुक्रवार को आयेगा, आप उसको स्वीकार कर लीजिये ।

डा० राम सुभग सिंह : अगर रेल के बारे में रहता तो मैं स्वीकार करने की कोशिश करता। जहां तक एग्रर कन्डीशन और सैलून में चलने की बात कही गई है—वह भी ऐसी बात है जो काफी कम हो गई है । लेकिन अब एग्रर-कन्डी-शन एक आम बात हो गई है, जिनके पास पैसा है, वह चलते हैं और एअर कन्डीशन में यात्रा करने का जिनका अधिकार है, वह भी जाते हैं ।

श्री अब्दुलगनी डार : रेलवे अफसरों को एअर कन्डीशन में जाने की इजाजत है, हम से इस अधिकार को छीन लिया गया है और उन को दिया गया है ।

[شری عبدالغنی ڈار- ریلوے کے افسروں کو ایرکنڈیشن میں جانے کی اجازت ہے ہم سے اس ادھیکار کو چھین لیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے ۔

डा० राम सुभग सिंह : आपकी सारी बात मैंने मान ली हैं—गाड़ियां अधिक चलाने की बात मान ली, मेला-सम्मेलन की बात मान ली, टी० टी०ई० साथ पुलिस की चलने के बारे में—जहां दिक्कत होगी, मेला वगैरह होगा, उसको भी मान लिया है । लेकिन जैसे अभी आन्ध्र प्रदेश में साइक्लोन आया, रेल लाइनें बह गई—हमारे इन्जीनियर ने वहां पहुंच कर जिस तत्प-रता से काम कराया । अगर कही बदअमली फैले, लाइनें उखाड़ दी गई तो वहां रह कर तत्परता से उसको काम कराना पड़ता है—इस को देखते हुए उसकी सुविधा की ओर कुछ न कुछ ध्यान देना पड़ेगा । पोखरन-जैसलमेर लाइन बनानी थी, वहां उसको स्वयं जाना ही पड़ेगा—इन सारी चीजों को देखते हुए, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण इसके बारे में अपनाया गया है ।

अहिरवार जी के इलाके की जो दिक्कतें हैं,

[डा० राम सुभग सिंह]

उसकी मैं जांच कराऊँगा।

जहां तक टी. टी. ई. को बढ़ाने की बात कही गई है, इसको मैं देखूंगा। चाहे छोटी लाइन की गाड़ी हो या बड़ी लाइन की हो, अगर कोई कठिनाई है और तादाद बढाने की जरूरत है तो वहां बढ़ाया जायगा। जहां तक उनकी सहूलियतों का सम्बन्ध है, अगर उनको कोई असुविधा है, सहूलियत मिलने में कठिनाई है, उनकी कठिनाइयों पर मैं विचार करूंगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उनकी मांगों को मानने में क्या कठिनाई है, आप स्वयं उनके लिए लड़े हैं।

डा० राम सुभग सिंह : जो बात वाजिब है, उसके लिए मैंने बता दिया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : लेकिन मन्त्री बनने के बाद अब आप मना कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : उनकी जो भी वाजिब सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था करूंगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : लेकिन उस समय आप लड़े थे तो वाजिब समझ कर ही लड़े थे।

डा० राम सुभग सिंह : इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को स्वीकार करने के लिए हाउस से निवेदन करता हूं और हाउस से यह भी अनुरोध करता हूं कि श्री कोठारी का जो प्रस्ताव है, उसको रद्द किया जाय।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं संरक्षण देना चाहता हूं, लेकिन आप बैठिए। इस बिल का स्कोप बहुत कम था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने दुनिया भर की बातें इस पर कह दी हैं। इसलिए अब इस पर सवाल वगैरह नहीं होना चाहिए—...

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मैंने अपने भाषण में दो-तीन बातें कही थी, वर्दी के बारे में...(**व्यवधान**)...रनिंग स्टाफ के बारे में डाक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा है।

सभापति महोदय : आप बैठिए। प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अगर बजट का टाइम होता तो जरूर इजाजत दी जाती लेकिन बिल के ऊपर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।......(**व्यवधान**)......

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : जो बिल पेश हुआ है, उसके सम्बन्ध में जानना चाहता हूं...

सभापति महोदय : जानने की कोशिश मत कीजिए, कृपा करके बैठिए।

श्री मोलहू प्रसाद : एक घण्टा पहले टिकट-घर खुलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है।...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय : आप पहले बैठिए। I want everyone of you to hear this. When there is a measure or Bill before the House and general discussion is over, clause by clause consideration is taken up, then every member has a right to raise any point which is relevant to that clause. But they cannot go on asking questions after the general discussion is over. There is a method, a way, a procedure for raising questions. They cannot ask questions of the Minister after he has replied to the general debate.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : The difficulty is that our hon. Minister always agrees to whatever we suggest in the House. But when he goes out he forgets it.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने जो उत्तर दिया उसमें उन्होंने कई बातें मानीं। सभी बातें तो नहीं मानीं लेकिन माननीय सदस्यों

की ओर से जो सुझाव दिए गए थे उनमें से कई उन्होंने माने । लेकिन एक बात का संतोषजनक उत्तर बिल्कुल नहीं मिला और वह यह है कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया । उन्होंने पहले इसके बारे में जो स्टेटमेंट प्रसारित किया था उससे भी पूरा संतोष नहीं होता । मैंने यह प्वाइन्ट पहले भी सदन के सामने रखा था और दोबारा फिर रखना चाहता हूं कि सरकार को तभी अध्यादेश जारी करना चाहिए जबकि वह अत्यन्त आवश्यक हो । कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 123 और 122 में जो लिखा हुआ है उस की जो भावना है उसको भी मानना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए ।

दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि इतनी बातें मानने के बाद भी जो बुनियादी बात है उसको उन्होंने नहीं माना है । जुरमाना जोकि 50 पैसे से 20 रुपए बढ़ाया जा रहा है, यदि इसको आंकड़ों में कहें तो इसको करीब दो हजार प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वे केवल दो रुपए तक ही बढ़ायें और मैक्सिमम पेनालटी को 500 रुपए के बदले 100 रुपए ही करें । यह मेरा सुझाव है जिस पर मंत्री महोदय विचार कर सकते हैं । अभी समय है, संशोधन आयेंगे और उनको इसे मान लेना चाहिए ।

मन्त्री महोदय ने कहा कि बुकिंग खिड़की की क्षमता बढ़ाई जायेगी । मैं इस बात का स्वागत करता हूं । बुकिंग खिड़कियों को बढ़ाया जाये और ट्रेन आने से पर्याप्त समय पूर्व ही यदि टिकट बांटे जायें तो जो वास्तविक यात्री हैं जोकि टिकट लेकर चलना चाहते हैं वे सुविधा पूर्वक अपना टिकट खरीद सकेंगे और जो बिना टिकट यात्रा है वह भी सीमित मात्रा में ही रह जायेगी । इसलिए इस बात पर अवश्य मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए । यह बात केवल मात्र आश्वासन ही न रह जाये बल्कि वास्तव में टिकट खिड़कियां बढ़ाई जानी चाहिए और हर स्टेशन को यह आदेश दिये जाने चाहिए कि ट्रेन आने से काफी समय पूर्व टिकट बांटने शुरू किए जायें ।

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनके जो कार्य हैं, जो कार्य उनको दिए गए हैं, उनको बढ़ाया जाना चाहिए, उनको यह भी आदेश देना चाहिए कि जो टी. टीज हैं, जहां तक हो सके, उनको प्रोटेक्शन दें । जहां से ट्रेन्स आरम्भ होती हैं वहीं से, जो बिना टिकट यात्री होते हैं, उनको पकड़ने में रेलवे फोर्स मदद करे । यदि इस प्रकार से उनकी ड्यूटीज बढ़ाई जाएं तो उससे लाभ होगा । इस समय रेलवे पुलिस फोर्स को जो कार्य दिये गए हैं, मैं समझता हूं वे उनको अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं । इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए और उनको आदेश देने चाहिए कि ठीक प्रकार से वे अपने कार्य को करें । यह अत्यन्त आवश्यक है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । जैसे कि और माननीय सदस्यों ने भी इस सदन के सामने कहा है, यदि कोई व्यक्ति स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट लेकर नहीं आया तो गार्ड उस को सर्टिफिकेट नहीं देगा. यह एक विचित्र बात है । अगर वह प्लेटफार्म टिकट ही खरीद सकता तो टिकट ही क्यों न ले लेता ? इसलिए अगर कोई बोनाफाइड पसेंजर गार्ड के पास जाता है और उससे निवेदन करता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाना चाहिए । इस प्रकार का संशोधन इस बिल में अवश्य किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त जैसा मैंने पहले कहा कोई भी व्यक्ति, रेलवे यूनिफार्म में किसी कर्मचारी के पास जाता है और उससे अनुरोध करता है कि सर्टिफिकेट दे दीजिए तो उसे सर्टिफिकेट देना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्या हानि हो सकती है और मंत्री महोदय को क्या आपत्ति है ।

[श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी]

इसके अतिरिक्त जैसा मैंने पहले कहा रेलों की संख्या को और उनकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए, डिब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिये हैं मैं उनका स्वागत करता करता हूँ।...(व्यवधान)......अगर मन्त्री महोदय अपने आश्वासन पूरे नहीं करेंगे तो उनको सदन में जवाब देना पड़ेगा। आज रेलों में बहुत भीड़ रहती है, लोगों को बहुत कठिनाई होती है। रेलों की कैपेसिटी बढ़ाने से वह भीड़ कम हो जायेगी और बिना टिकट यात्रा नियंत्रित करनेमें सुविधा रहेगी। और कोई विशेष बात न कहकर अन्त में फिर यही कहना चाहता हूँ कि जो दंड प्रावधान बढ़ाई जा रही हैं वास्तव में वे गरीब आदमियों पर ही पड़ेंगी। यह यथार्थ है जिससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है। मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि दंड को 50 पैसे से केवल दो रुपए तक ही बढ़ायें। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"This House disapproves of the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 3 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 4th June, 1969."

The Resolution was negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : He wil now take up clause-by-clause consideration of the house Bill.

Clause 3.—(*Amendment of section 112*).

SHRI YASHPAL SINGH : Sir, I beg to move :

Page 2, line 1,—

after "five hundred rupees" *insert*—

"and if the crime is repeated within next three months by the same person, he shall also be sentenced to a minimum imprisonment of fifteen days, in addition to the penalty of fine". (5)

SHRI LOBO PRABHU (Udaipur) : Sir, I beg to move :

Page 2, line 1,—

for "ten rupees" *substitute* "two rupees" (6)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani) : Sir, I beg to move :

Page 2, line 1—

for "five hundred rupees" *substitute*—"one hundred rupees" (7)

SHRI LOBO PRABHU : Sir, I beg to move :

Page 2, line 1,—

for "five hundred rupees" *substitute*—"two hundred rupees" (8)

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : अधिष्ठाता का महोदय, टिकटलैस जर्नी सारे देश के नैतिक पतन का परिचायक होती है और हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने तो यह कहा था कि इस के लिए सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए अकेले पैसेन्जर्स जिम्मेवार नहीं हैं। इसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, रेलवे बोर्ड भी जिम्मेवार है। आज अगर यह रूल बना दिया जाये कि जरूरत से ज्यादा टिकट इश्यू नहीं किए जायेंगे, कोई 60 लाख के करीब आदमी सफ़र करते हैं हिन्दुस्तान में और अगर 8 फ़ीसदी लोग भी बगैर टिकट के सफ़र करें तो इससे देश का बड़ा भारी नुकसान होता है। और जो लोग बिना टिकट सफ़र करते हैं उनका कितना नैतिक पतन होता है। अगर वाकई 40 लाख की जगह है तो उससे ज्यादा टिकट इश्यू न किये जायें। और यह बड़ी आसानी से चैक किया जा सकता है कि कितने टिकट इश्यू हुए हैं, कितने पैसेन्जर्स आये हैं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपये की आमदनी है लेकिन जहां यह पता ही नहीं है कि कितने टिकट इश्यू हुए, कितने सवार

हुए, कितने रह गये, कितने चले गये, कितने पकड़े गये, इससे ज्यादा अन्धेर क्या हो सकता है। एक बहुत मामूली सी बात है, इस बात को बड़ी आसानी से चैक किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा स्टाफ रखना, ज्यादा एक्सपेंड करना यह भी हमारी इकानामी इजाजत नहीं देती है। इसका आसान उपाय यह है कि वह लोग घर से ही न निकल सकें जिन्हें पता हो कि आज हमारा नम्बर नही है। वरना नैतिक पतन होता रहेगा, सरकार के ऊपर भार बढ़ता रहेगा, देश का घाटा होता रहेगा। तो मेरा सुझाव यह है कि सजा को बढ़ाया जाये, सख्त की जाय, जिससे कि जो मौरल है वह ऊंचा हो, ऊंची नैतिकता पैदा हो और सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार हो।

सोशलिज्म का नारा तो जरूर हम लगाते हैं लेकिन इस ढांचे में कहीं सोशलिज़्म नज़र नहीं आता। हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिमाग होते हैं, रेकार्ड सुन्दर होता है गवर्नमेंट का, ला का इंटरप्रीटेशन सुन्दर होता जा रहा है। लेकिन इसका भार पड़ता है मुद्दई और मुद्दालय पर। यह गलत है। जब ला का सुन्दर इन्टरप्रीटेशन हो रहा है और हमारा विकास हो रहा है तो वह खर्चा मुद्दई और मुद्दालय के ऊपर नहीं पड़ना चाहिये। वह खर्च सरकार के ऊपर पड़ना चाहिए।

तो यह जो आज टिकटलैस जर्नी है इसको जिम्मेवार सबसे ज्यादा रेलवे की अपनी डिफेक्टिव प्रणाली है। अगर रेलवे डिपार्टमेंट चाहे तो यह काम आठ, दस दिन के अन्दर सुधर सकता है और इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। कितनी आपने कोशिश की इसके लिए, कब यह कोशिश की गई कि यह रेकार्ड रहे कि जो लोग बगैर टिकट के सफ़र करते हुए पकड़े गए हैं, जिन को 10 रुपया भी जुर्माना हुआ है, दस दिन की सजा हुइ है, उनको खड़े होने का हक न हो किसी चुनाव में भी ? किसी भी सुन्दर काम के लिए उनको योग्य न समझा जाये। कोई रेकार्ड इस चीज़ का नहीं है।

आज हम देखते हैं कि टिकट खरीदने वाले एक हजार खड़े हैं और बुकिंग क्लर्क दो हैं और गाड़ी छूटने में 5 मिनट हैं। नतीजा यह होता है कि बुकिंग क्लर्क बेचारा दे नहीं सकता है और जो लोग रह गये हैं वे अपना काम मिस नहीं करेंगे। वह बगैर नीयत खराब किये भी रेलों में सवार हो जायेंगे। सबसे ज्यादा कमी स्टाफ़ की है। मैं हर जगह देखता हूं कि वह वक्त पर तो आते नहीं हैं. वक्त निकल जाने के बाद आते हैं. पांच, दस मिनट बाद, और फिर कहते हैं कि अब हम क्या करें। पांच मिनट सहले खिड़की बन्द हो जाती है। इसका इलाज बड़ी आसानी से हो सकता है। और सबसे ज्यादा जिस बात का ऐहसास होता है हिन्दुस्तान में वह यह कि आज भी ओवर टाइम टी० ए० मिलता है इस जमाने में भी। चाहिये तो यह कि जो गाड़ी लेट लेकर आया है उस पर जुर्माना हो इस बात के लिये कि वह टाइम पर नहीं आ सका। गाड़ी लेट लाया है इसलिये उसको ओवर टाइम टी० ए० मिलता है आज के जमाने में। मैं मांग करता हूं कि यह कानूनन खत्म होना चाहिये। इसके लिए रेलवे बोर्ड के चैयरमैन से लेकर एक मामूली बुकिंग क्लर्क तक, हर एक जिम्मेवार है, और यह बुराई तभी दूर हो सकती है जब हम सभी लोग इसको कोशिश करें। अकेले रेलवे बोर्ड या मंत्रालय के पास इतना फ़ोर्स नहीं है कि इस बुराई को दूर करा सके।

मैं मंत्री जी को उनके प्रयत्नों के लिए बधाई देता हूं, नेकनीयती के लिये मुबारकबाद देता हूं। लेकिन बुद्धि बल से भी कुछ काम दुनिया में होते हैं। सारे काम डंडे के जोर से ही नहीं होते। हम ने यह भी पढ़ा है कि : The way to Hell is often paved with good intentions. अच्छी नीयत से भी खराब काम हो

[श्री यशपाल सिंह]

जाते हैं। तो सिर्फ नीयत का अच्छा होना ही काफी नहीं है, साथ-साथ बुद्धि की भी जरूरत है। जिस काम के लिए इतना बड़ा अध्यादेश आया है उसको बैठ कर एक हफ्ते में हल किया जा सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको रोका जाये। और जो सहयोग हम दे सकते हैं उसके लिए हम तैयार हैं।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I think, this House has achieved a record of having spent four hours on this Bill and yet having not understood what it stands for. We have not read the provisions which are that subject of amendment ; we have talked on everything except the Bill. For that reason I would like you to be indulgent to me while I explain to the House as to what the provisions of this Bill are.

Under section 12 which provides for punishment for ticketless travel, there are four punishment : first, a very ordinary one of recovering the cost of the ticket from the Station from where the train started or from where it was last checked; the second is imprisonment for three months; the third is fine upto Rs. 100; and the fourth is excess payment which is calculated according to the cost of the ticket or 50 Naya Paise which ever is higher. The amendment is that first, the finc be raised from Rs. 100 to Rs. 500; the next is that, the excess charge should be subjected to a minimum not of 50 Naya Paise but Rs. 10. My friends will notice that this is an increase—from 50 nP. to Rs. 10—of several thousand per cent.

The first question for this House to consider is what were the actual fines compared with the maximum. I mentioned to the Minister this morning that the average of fine collected so for was Rs. 3 in the last year and Rs. 5 in some previous years. Instead of that, you are now proposing that Rs. 500 should be the penalty. For whose benefit are you imposing this when the fines are only in the miserably low ranges of Rs. 2 or 3 or 5 ? The Minister took some comfort from the fact that ticketless travel had been arrested. I would like to point out to him that it was not because of the fines; the fines had not been increased; he can deny with the proper average if it is available; it is because of the arrangements made consequent on or coincidental with the increased rates which are now prescribed. I would like to point out that you are achieving nothing by raising these rates. You have got to seek for the remedy somewhere else. You have got to seek for the remedy first by seeing how these fines which you impose are collected. There is no punishment by way of imprisonment when the fine or excess charge is not paid. It is only written off. Some attempt may be made to attach the property of the person who is found to have committed these offences. The first thing the Minister should have done was that where the fine and the excess charge could not be collected, the punishment of imprisonment should have been provided. I hope, he will delay bringing another Bill—not an Ordinance but a regular Bill—to provide for this.

Secondly, the Minister has not provided for punishing those who are habitual offenders. It is not enough that these people are treated like others. They should, in my view, be punished with imprisonment and nothing less; they are not corrected by monetary fines. This is also an amendment which the Minister should bring forward. Otherwise, he should, as everyone suggested remain content with the maximum or at the most, as I have suggested, double the existing maximum because that will provide the corrupt staff with same instrument for extortion. If a ticket collector can tell a passenger that he may have to pay Rs. 500/- as penalty, then surely he will part with Rs. 15/- or Rs. 50/- and give it to the ticket collector. The Railways are not getting money. On the other hand, you are allowing the money to go to a place where it should not. Therefore, I press this amendment on the ground that you are providing not for the collection of excess fares, but you are providing for collection of illegal gratitfication by the staff...

AN HON. MEMBER : Nonsense.

SHRI LOBO PRABHU : I agree that all of them are not dishonest and some who are friends of Shri Fernandes...

SHRI GEORGE FERNANDES : Or Shanti Prasad Jain.

SHRI LOBO PRABHU : He may be your friend, but not mine.

Now the Railways have to think of this problem in an organic way. They must study this whole problem and find out where the incidence of ticketless travel is heavy. I would like the Minister to tell us whether such a study has ever been made. Are there sufficient coaches in the train in order to avoid over-crowding? When there is over-crowding and there are no seats, people think they need not buy tickets. Have they considered whether there are proper safeguards against passengers escaping through unmanned exits without buying tickets? These are matters which cannot be left to legislation. The Minister must see that the Railway Board itself pays some attention to these problems and he must also see that somehow the Railway is committed to a sense of protecting public property and collecting all the fares.

I was travelling from my home-town to Delhi to attend the Parliament session and I found that when I had my ticket, in the same vestibule or in my compartment, the whole carridor was occupied by all kinds of passengers who obviously had not paid for their tickets. There were two Hippies also enjoying the hospitality of the Indian Railways. The Conductor was just sitting watching the situation without doing anything about it. I would suggest that every Railway Officer in uniform should be charged with the duty of checking whether a passenger has a ticket or not.

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज : तन्ख्वाह के बारे में क्या है, तन्ख्वाह भी मिलनी चाहिए ।

SHRI LOBO PRABHU : If every Railway officer is charged with this responsibility—whether he be a conductor or attendant—then the ticket collector will feel that there is certain degree of competition against him...(*Interruption*). I would suggest that the nhmber of checking staff should be increased, if the conductor system is tried in sample areas, in the same way as in buses.

I would like the Minister to consider the whole problem not merely in terms of punishment or increasing fines because it is a maxim in law that the higher the punishment, the fewer are the people punished. The Courts will become reluctant to impose these fines—particularly the minimum of Rs. 10/--on the poor people and the Courts will resort to the familiar practice of saying that there is not enough evidence and therefore the party be exonerated. So, I would press again that at least Government may be prepared to accept the lower ranges of fines and excess charges suggested by me.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, मेरा संशोधन दूसरी क्लाज में है, जिस में कहा गया है कि कम से कम जुर्माना 10 रुपये का और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 500 रुपये का होगा । 10 रुपये का जहाँ सवाल है, उसके मुतालिक मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये का जुर्माना होगा, इसको मैं चाहता हूं कि 100 रुपये मैक्सीमम रखा जाए।

सभापति जी, यह बात सही है कि बेटिकट की यात्रा होती है और जो यात्री बेटिकट चलता है, उसका भी दोष होता है लेकिन यदि इस की पृष्ठभूमि पर आप गौर करेंगे, हमारे समाज की जो बनावट है इसकी पृष्ठभूमि पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यात्री जितना दोषी है उतना समाज दोषी है, या व्यवस्था दोषी है या सरकार दोषी है । बेटिकट यात्रा करने का दोष थोड़ा उस यात्री पर जरूर है लेकिन ज्यादा दोष इस सरकार का है जिसने ऐसी व्यवस्था बना दी है गरीबी की जिससे आम जनता के पास पैसा नहीं हो पाता है जिससे वह टिकट ले सके और दूसरी जरूरयात को पूरा कर सकें । जल्दबाजी की वजह से और कुछ लापरवाही की वजह से यात्री से गड़बड़ हो सकती है यह मैं महसूस करता हूं लेकिन आम तौर पर उनकी आर्थिक हालत खराब होती है और मजबूरन उन्हें बेटिकट यात्रा करनी पड़ती है । इसलिए इस में यात्री ही दोषी नहीं हैं बल्कि सरकार भी दोषी है लेकिन चूंकि कुछ अंश में वह यात्री भी दोषी हैं इंसाफ कहता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए । हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में जहां आपने मैक्सीमम 600 रुपये रखा है और मैं समझता हूं वह बहुत भारी भार

[श्री शिवचन्द्र झा]

है, बहुत बड़ा बोझा है गरीब यात्रियों पर और 500 रुपये तक जो मैक्सीमम रखा है जैसा श्री लोबो प्रभु ने बताया कि जो टिकट कलक्टर और दूसरे लोग बीच में चैक करने वाले हैं, कुछ रुपया देकर बेटिकट वाले लोग निकल जाएंगे और क्रपशन का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए 500 रुपये की जो मैक्सीमम सीमा आप बनाने जा रहे हैं वह ज्यादा है उस गरीब यात्री के लिए। इसलिए 500 रुपये का बड़ा जुर्माना न रखकर मैं चाहूंगा कि 100 रुपये आप रखें। तो कम से कक 10 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये आप रखें तो वह सजा भी हो जाएगी उस यात्री पर जो लापरवाही से या जो टिकट कटा सकता है लेकिन बिना टिकट यात्रा करता है और साथ ही साथ जो मेरा प्रस्ताव है, जिस हालत में समाज गुजर रहा है, उसके मुताबिक वह बड़ा बोझ नहीं होगा। इस संशोधन को अगर सरकार मान लेती है तो एक तो सरकार पहरेदार की हैसियत से चेतावनी भी दे देती है और साथ ही साथ इस एमाउन्ट को कम करने से शिक्षक के रूप में कुछ शिक्षा भी देती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरा जो संशोधन है दूसरे क्लाज में कि 500 रुपये की आखिरी सीमा जो रखी गई है, उसको एक सौ रुपये की सीमा रखी जाए और एक सौ रुपये से ज्यादा जुर्माना न हो उसको मान लिया जाए। मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे।

SHRI LOBO PRABHU: Here again it is a question of the quantum of punishment. Section 112 refers to those who go beyond the authorised distance. The minimum punishment proposed in this Bill is very excessive; instead of the previous fifty paise, it has now been sought to be made into Rs. 10. Is it fair that a person who by some accident goes beyond the distance for which he is authorised should have to pay a minimum of Rs. 10? It might be a mistake; it might even be, even if it is deliberate, a small distance. Secondly, what is worse is that even when a person has intimated that he has travelled beyond the authorised distance, whereas the previous penalty was only five paise, now it is going to be made into a minimum of five rupees.

Now that again is not fair because in this case the party has himself come forward and declared that he had travelled beyond the authorised distance. I would therefore request the Minister to consider whether it is fair to impose these very high rates of fine in circumstances like these which may not have much of design or *mala fide* in them.

MR. CHAIRMAN: Shri Tulsidas Jadhav. Let him confine his remarks to clause 2.

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती : सभापति महोदय, कल मैंने इसके ऊपर बहस की है। दो-ती सजेस्शन मुझे करना है।

यह जो दस रुपया दण्ड जो किया है उसके ऊपर कल मैंने अमेंडमेंट दिया था लेकिन इसको ज्यादा टाइम हो जाने से नहीं लिया जा सका। मेरा कहना यह है कि 10 रुपये के बजाय दो रुपये करें। एक तो इसका बहुत जुल्म होता है कि जो प्रवासी होते हैं वह अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और वे कभी तीन वर्ष के इधर-उधर हो तो ठीक जानकारी उसको दें, समझा दें। लेकिन उसको दस रुपया दण्ड कर दिया जाय तो बड़ी हैरासमेंट होती है। तीन वर्ष के अन्दर बच्चा हो तो वह सर्टिफिकेट बनाओ, नये सर्टिफिकेट बनाओ, इस रूल से लोगों को तकलीफ होती है वह सोचता है और 12 वर्ष के अन्दर वह भी बच्चों के लिए दस रुपये जुर्माना होता है तो दोनों तरीके से तकलीफ होती है।

सभापति महोदय : यह सब सूचना हुई है।

श्री तुलसीदास जाधव : दूसरी बात यह है कि टिकटलैस ट्रेवलर को चैक करने के सम्बन्ध में मेरा सजेस्शन है कि नान-आफिशियल लोगों का बल 10-20 का वहां जाएगा तो उसका असर होता है। हमारे शोलापुर में हमने किया है और एक ही वक्त में हजार-हजार रुपये वहां

वसूल किये गये सिर्फ एक स्टेशन पर, एक गाड़ी पर। इसलिए रेल अधिकारियों को इसकी तरफ़ ज्यादा ख्याल रखना चाहिये। इसीलिए मेरी दी सजेशंश पर अमल किया जाये।

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : I would request the hon. Minister to seriously consider this question of imposing a fine of Rs. 10 and take a decision here itself because otherwise the purpose of the Bill itself will be defeated. Many TTEs have come forward and told me after the Ordinance that in practice what is going to happen is that almost all the offenders will be let off. I would request him to consider the practical aspect of it. Previously what used to happen was this. Suppose they caught 15 people in a wayside station, they get this 8 annas and let them off. If it is not paid by some of them, they could take them to the court, because the number will be small. Now, if they catch 15 persons in some wayside station, most of them may not have Rs. 10 with them. So the entire lot may have to be taken to court. In wayside stations, there will be no court nearby. There the question of entrusting these 15 persons to the Station Master will arise. If it is night time, where will the Station Master keep these 15 persons ? There is no place to do so, no protection, no police. Ultimately, what will happen is that the TTE must ask the Station Master to let them off or to take them next morning to the nearest court.

This difficulty in the practical implementation of it has been pointed out to me by many TTEs on various lines. So what will happen now is that whereas previously two persons were let off, now the entire lot will have to be let off. Therefore, I would request him to consider this question of raising the fine from 8 annas to Rs. 10 again seriously and give it up.

MR. CHAIRMAN : Generally, what happens is that those who have already taken part in the debate wish to speak again. They should not speak now.

SHRI RANDHIR SINGH : Mine is a new point. I will take hardly one minute.

DR. SURYA PRAKASH PURI (Nawada) : He wants to speak on all occasions ; he is given time. But we are not given time.

SHRI RANDHIR SINGH: Who is he ? I am taking my party's time.

MR. CHAIRMAN : On the third reading, you can take a few minutes.

SHRI RANDHIR SINGH : Who is he to interfere ? I am taking the time of my party.

DR. SURYA PRAKASH PURI : We are never given time. Every time he wants to speak and he is given time. What is this ?

SHRI RANDHIR SINGH : I am not yielding. I am taking my party's time.

MR. CHAIRMAN : Take your seats please. The hon. Member must know that instead of telling something to the Member speaking, he should draw my attention, or rather, the Chair's attention.

DR. SURYA PRAKASH PURI : I only drew your attention.

MR. CHAIRMAN : Otherwise, you will only be quarrelling among yourselves. Do not follow that practice.

SHRI RANDHIR SINGH : I have only one point to speak about. As was pertinently said by Shri Lobo Prabhu ..

SHRI J. M. BISWAS : Give me one minute's time after he finishes.

MR. CHAIRMAN : Yes. I shall give some time for other hon. Members also.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : What stage of the Bill are we now in ?

MR. CHAIRMAN : Clause-by-clause stage.

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, a very pertinent point was raised by Shri Lobo Prabhu. He said something about the penalty awarded.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : हिन्दी में क्यों नहीं बोलते।

श्री रणधीर सिंह अच्छी बात है।

[श्री रणधीर सिंह]

सभापति महोदय, अभी मेरे फाजिल दोस्त ने एक बात कही जिसने मुझे बहुत अपील किया और वह यह है कि चूंकि इतनी सख्त सजा है, कहीं ऐसा न हो कि बिल का जो असल मुद्दआ है वही डिफीट हो जाये। इस बारे में डा० राम सुभग सिंह से बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जैसा श्री उमानाथ ने कहा, मेरा भी वही प्वाइन्ट था कि कभी ऐसा न हो कि जब मजिस्ट्रेट रेल में न हो या जब पुलिस का बन्दोबस्त न हो, स्टाफ के लिए प्रोटेक्शन न हो तब करप्शन और बढ़ जाये। जैसा फूड के सैनिटरी इन्स्पैक्टर के केस में और दूसरे मामलों में होता है कि जब पनिशमेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी छः महीने की सजा और 1,000 रु० जुर्माने की जहां बात होती है वहां अक्सर यह होता है कि करप्शन बढ़ जाता है। इस बिल के जरिये बजाय इसके कि पब्लिक का फायदा हो और टिकेटलैस ट्रैवेल कम हो, जो स्टाफ वाले हैं उन की पोजीशन कहीं ऐसी न हो जाय कि जिस आदमी को तीन महीने की सजा हो सकती है, 500 रु० जुर्माना हो सकता है, उन को वह 20-30-40 रु० लेकर छोड़ दें?

अगर आप समरी ट्रायल का प्रोसीजर रक्खें और वहीं का वहीं डब्बे के अन्दर सजा दी जाय, तब तो यह बिल इम्प्लिमेंट हो सकता है, नहीं तो यही होगा कि कि मर्ज बढ़ता जायेगा और दवा का असर ही नहीं होगा।

DR. RAM SUBHAG SINGH : Sir, I have listened to the suggestions very attentively, but the point that has been made by Shri Yashpal Singh is such that it is not acceptable to me. Shri Lobo Prabhu as well as Shri Randhir Singh have pointed out that it should not be made more harsh. Of course, later on Shri Lobo Prabhu wanted that this provision should be made in this Bill. The amendments, if you persue them—I am sure you have already perused them—are of that type and, therefore, they are not acceptable to me.

MR. CHAIRMAN : I shall put the amendments together.

Amendments Nos. 5 to 8 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill".

The Lok Sabha divided :

Division No. 2] **[15.54 hrs.**

AYES

Achal Singh, Shri
Agadi, Shri S. A.
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Asghar Husain, Shri
Awadesh Chandra Singh, Shri
Azad, Shri Bhawat Jha
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri Bedabrata
Basumatari, Shri
Baswant, Shri
Besra, Shri S. C.
Bhagat, Shri B R.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava. Shri B. N.
Bohra, Shri Onkarlal
Chanda, Shri Anil K.
Chandrika Prasad, Shri
Chatterji, Shri Krishna Kumar
Chaturvedi, Shri R. L.
Choudhary, Shri Valmiki
Damani, Shri S. R.
Das, Shri N. T.
Dasappa, Shri Tulsidas
Deshmukh, Shri B. D.
Deshmukh, Shri K. G.
Deshmukh, Shri Shivajirao S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dixit, Shri G. C.
Gandhi, Shrimati Indira
Ghosh. Shri P. K.
Ghosh, Shri Parimal
Gudadinni, Shri B. K.
Heerji Bhai Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S. C.
Jamna Lal, Shri
Kahandole, Shri Z. M.
Kamble, Shri
Karan Singh Dr.
Kasture, Shri A. S.

Katham, Shri B. N.
Kavade, Shri B. R.
Kedaria, Shri C. M.
Kesri, Shri Sitaram
Kinder Lal, Shri
Krishna, Shri M. R.
Krishnan, Shri G. Y.
Kureel, Shri B. N.
Kushok Bakula, Shri
Lakshmikanthamma, Shrimati
Laxmi Bai, Shrimati
Mahadeva Prasad, Dr.
Maharaj Singh, Shri
Mahida, Shri Narendra Singh
Malhotra, Shri Inder J.
Mandal, Dr. P.
Marandi, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Masuriya Din, Shri
Menon, Shri Govinda
Minimata, Agam Dass Guru Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mohammad Yusuf, Shri
Mrityunjay Prasad, Shri
Murti, Shri M. S.
Naidu, Shri Chengalraya
Nayar, Dr. Sushila
Pahadia, Shri Jagannath
Palchoudhuri, Shrimati Ila
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri N. N.
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. B.
Patil, Shri S. D.
Poonacha, Shri C. M.
Pramanik, Shri J. N.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Raju, Shri D. B.
Ram Dhan, Shri
Ram Dhani Dass, Shri
Ram Sewak, Shri Choudhary
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri J. Ramapathi
Rao, Dr. V. K. R. V.
Reddy, Shri Surendar
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saigal, Shri A. S.
Salve, Shri N. K. P.
Sanghi, Shri N. K.
Sanji Rupji, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sapre, Shrimati Tara
Sarma, Shri A. T.
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sethi, Shri P. C.
Shah, Shrimati Jayaben
Shah, Shri Shantilal
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Madhoram
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinkre, Shri
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri Mudrika
Snatak, Shri Nar Deo
Solanki, Shri S. M.
Sonar, Dr. A. G.
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Sursingh, Shri
Suryanarayana, Shri K.
Tarodekar, Shri V. B.
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Tula Ram, Shri
Uikey, Shri M. G.
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadab, Shri N. P.

NOES

Abraham, Shri K. M.
Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Badrudduja, Shri
Banerjee, Shri S. M.
Bansh Narain Singh, Shri
Barua, Shri Hem
Behera, Shri Baidhar
Berwa, Shri Onkar Lal
Bhagaban Das, Shri
Biswas, Shri J. M.
Bramhanandji, Shri
Brij Bhushan Lal, Shri

Chakrapani, Shri C. K.
Chandra Shekhar Singh, Shri
Cnauhan, Shri Bharat Singh
Daschowdhury, Shri B. K.
Deo, Shri K. P. Singh
Deo, Shri R. R. Singh
Dhandapani, Shri
Dipa, Shri A.
Esthose, Shri P. P.
Fernandes, Shri George
Ghosh, Shri Ganesh
Gopalan, Shri A. K.
Gopalan, Shri P.
Gowder, Shri Nanja
Goyal, Shri Shri Chand
Gupta, Shri Kanwar Lal
Jai Singh, Shri
Jha, Shri Shiva Chandra
Joshi, Shri S. M.
Kachwai, Shri Hukam Chand
Kalita, Shri Dhrireswar
Kamalanathan, Shri
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Khan, Shri Ghayoor Ali
Kothari, Shri S. S.
Krishnamoorthi, Shri V.
Kuchelar, Shri G.
Kushwah, Shri Y. S.
Lakkappa, Shri K.
Limaye, Shri Madhu
Lobo Prabhu, Shri
Madhukar, Shri K. M.
Majhi, Shri Mahendra
Mandal, Shri B. P.
Mangalathumadam, Shri
Meena, Shri Meetha Lal
Meghachandra, Shri M.
Misra, Shri Janeshwar
Misra, Shri Srinibas
Modak, Shri B. K.
Mukerjee, Shri H. N.
Naik, Shri G. C.
Nair, Shri Vasudevan
Nambiar, Shri
Ninal Singh, Shri
Pandey, Shri Sarjoo
Parmar, Shri D. R.
Paswan, Shri Kedar
Patil, Shri N. R.
Puri, Dr. Surya Prakash
Ramamoorthy, Shri S. P.
Ramamurti, Shri P.
Ranjit Singh, Shri
Reddy, Shri Eswara
Saboo, Shri Shri Gopal
Satya Narain Singh, Shri
Sen, Shri Deven
Sen, Dr. Ranen
Sharda Nand, Shri
Sharma, Shri Beni Shanker
Sharma, Shri Narain Swarup
Sharma, Shri Yajna Datt
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Sheopujan
Shivappa, Shri N.
Singh, Shri J. B.
Sivasankaran, Shri
Sreedharan, Shri A.
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri Gunanand
Umanath, Shri
Viswambharan, Shri P.
Yadav, Shri Ram Sewak

MR. CHAIRMAN : The result* of the Division is :

Ayes : 140; Noes : 88.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3.—(*Amendment of section 113*)

DR. RAM SUBHAG SINGH : I beg to move :

Page 2,—

for lines 5 to 7, *substitute*—

3. In section 113 of the principal Act, in sub-section (3),—

Amendment of section 113

(a) in the opening paragraph, for the words "fifty naye paise", the words "ten rupees" shall be substituted ;

*The following Members also recorded their Votes :

AYES : Shri Naval Kishore Sharma.

NOES : Sarvashri Mohammed Ismail, Murasoli Maran and Jharkhande Rai.

(b) in the first proviso, for the words "nearest multiple of five naye paise, or fifteen naye paise", the words "nearest multiple of five paise, or five rupees" shall be substituted.' (3)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 2, lines 6 and 7,—

for "ten rupees" *substitute* "two rupees" (9)

Page 2, line 7,—

for "five rupees" *substitute* "one rupee" (11)

सभापति महोदय, जहां पर अतिरिक्त यात्रा के लिए जुर्माने की बात आती है सरकार कहती है कि उसमें 50 पैसे की जगह पर 10 रु० और 15 पैसे की जगह पर 5 रु० कर दिया जाये, यानी कम से कम इतना जुर्माना रखा जाये। जैसे मैंने पहले कहा यह देश गरीब है और आप जानते हैं कि इस देश की जनता का अधिकांश भाग 3 आने रोज पर गुजर करता है। आज सरकार की ऐसी नीति है कि 22 साल की आजादी के बाद भी जब उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है तो सिर्फ 14 बैंकों का किया है, हालांकि आज सारे बैंकिंग सिस्टम के राष्ट्रीयकरण की जरूरत है, जो विदेशी बैंक हैं उन के राष्ट्रीयकरण की जरूरत है और कम्पेन्सेशन का कोई सवाल नहीं आता है। इस के अलावा 75 मोनोपोली हाउसेज हैं। मोनोपोली कमिशन ने बतलाया है कि वह आज की सारी अर्थ-व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। आज जो सारी अर्थ व्यवस्था है उसकी वजह से देश की जनता गरीब बनाई गई है। इसी तरह से एक आम सुविधा जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए रेल गाड़ी की है उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी लोग बिना टिकट लिए हुए चले जाते हैं तो उन पर इतना जुर्माना न रक्खा जाय, उनको इतनी सख्त सजा न दी जाये जिससे उन लोगों की हालत और भी खराब हो जाये।

हकीकत में यह सजा दे कर आप लोगों में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। बल्कि आज जैसी व्यवस्था है उस में भ्रष्टाचार बढ़ ही सकता है। टिकट कलेक्टर वगैरह जो होते हैं वह बड़ी रकम का जुर्माना होने पर थोड़ी रकम ले कर यात्रियों को छोड़ देते हैं जो कि बिना टिकट होते हैं। इस में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। मैं यह नहीं कहता कि आप सजा न दें।

16 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जो यात्री बिना टिकट होते हैं उन की गलती थोड़ी जरूर होती है, लेकिन सरकार को इस बात का खयाल हमेशा रखना होगा कि उस की वजह से, हुकूमत की बजह से जो यात्री बिना टिकट सफर करते हैं उन की संख्या बढ़ रही है। कोई बुनियादी परिवर्तन हिन्दुस्तान की बनावट में नहीं हो रहा है। मेरा संशोधन यह है कि जहां आपने जुर्माने की राशि को बड़ा कर दस रुपये और पांच रुपये रखा है वहां आप इसको दो रुपये और एक रुपया रखें। इसमें उनको सजा भी मिल जाएगी और साथ साथ उन पर बड़ा भारी बोझा भी नहीं आ पड़ेगा। दोनों काम आपके हो जायेंगे। आप टिकटलैस ट्रेवल को समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि लोगों की आर्थिक हालत आप सुधारें, लोगों को शिक्षित करें, उन नैतिक स्तर ऊंचा करें, उनके दिमाग में यह बिठायें कि वे बिना टिकट यात्रा न करें। जब तक यह नहीं होगा और लोग इसको नहीं समझेंगे कि बिना टिकट सफर नहीं करना चाहिये तब तक इस बीमारी का सही हल आप नहीं निकाल सकेंगे। जो रकम जुर्माने की आप रख रहे हैं, यह बहुत ज्यादा है। मेरा संशोधन अगर आप मान लें और उसके मुताबिक जुर्माने की

[श्री शिव चन्द्र झा]
राशि को कम कर दें तो आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे ।

16.02 hrs.

MOTION FOR ADJOURNMENT—*Contd.*

Failure of Government to ensure Security to Public Travelling on Railway—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we shall take up the adjournment motion.

SHRI UMANATH : (Pudukkottai) We would like to know when the Prime Minister is going to make a statement on the stay granted by the Supreme Court.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before we adjourn for the day. I will get the information and communicate it to the House.

SHRI UMANATH : Let us know from the Government. The Minister of Parliamentary Affairs, and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : I will find out and let you know.

SHRI HEM BARUA : (Mangaldai) Mr. Deputy-Speaker, Sir, I move :

"That the House do now adjourn".

During the Budget Session we were provided with certain papers and the papers told us that the number of accidents in this country had gone down. This might be so statistically but there is a difference between minor accidents and major occidents. Some major accidents have taken place in the country during these days involving large loss of human life and property. There is a tendency in this House on the side of Government to tell us whenever a major accident takes place involving life and property that there are accidents taking place in foreign countries also. That is the pet plea of Government to justify accidents in this country. Shri Parimal Ghosh did that long back in the Rajya Sabha, I remember.

Whatever that might be, why do you compare this country with other countries in eddities? There is a comparison in odd ties only. Because you are a thief therefore I should be a thief, is no argument at all. Because railway a accidenst take place in other countries therefore railway accidents in this country must be condoned, cannot be an argument likewise. That might be an eye-wash but that is no argument at all.

We talk of socialism but socialism does not mean encouragement to inefficiency. That is what is happening in the country. We talk of socialism has become an encouragement to inefficiency in the country. Therefore the Minister should know that there should be an improvement in efficiency so far as the working of the railways is concerned. When Dr. Ram Subhag Singh became the Minister of Railways, I thought, possibly a little bit foolishly, that he will be able to impart some dynamism into the the working of the railways and the matters will improve. But the matters have not improved at all. It is becoming worse everyday.

I can tell you the North-East, Frontier Railway are the worst managed railways in the country. You find railway bogies without lights. I remember, on 6th January, 1958, a bogie came down from Gauhati to Barauni without any light whatsoever. There were women and children in that bogie. Then, I saw another train standing near the station, next to Barauni—I was going to some destination possibly in Bihar—and I found a Third-class bogie without any light. Why this negligence I do not understand. There is negligence somehow or other rather mounting up. I want to tell you India expects every man to do this duty. To forget this basic fact is a crime. We are committing this crime by neglecting duty, whoever he or she might be. This is what is happening.

Then, on 16th July, I found the fans in a first class compartment not moving, right from Siliguri, and I went on reporting the matter and there was nobody to attend to that, There is always a pet argument saying there is a mechanical defect. Why don't you remove the mechanical defect if there is any ? Why don't you attend to the efficient working of the railways ? Why don't you improve the technical efficiency of the railways. You do not do that.